27. Netarhat

नेतरहाट निशाने पर

जोसेफ मरियानुस कुजूर

झारखंड के आदिवासी और मूल निवासियों के सिलसिले में एक हास्यास्पद बात सामने उभरकर आयी है। एक ओर सरकार जहाँ आदिवासियों के कल्याण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए तरह–तरह के अधिनियम बनाकर उनका हिमायती होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के नेतरहाट *'पायलट प्रोजेक्ट फील्ड फायरिंग रेंज'* पर अपनी मुहर लगाकर प्रभावित 245 गाँवों के 2.6 लाख से भी अधिक लोगों की अस्मिता को हमेशा के लिए मटियामेट करने का अपना मन बना चुकी है।

जान देंगे, जमीन नहीं देंगे

नेतरहाट फील्ड फायरिंग गोलाबारी अभ्यास रद्द करने और पायलट प्रोजेक्ट को स्थायी रूप से निरस्त करने के संबंध में प्रभावित क्षेत्रों की जनता द्वारा अधिकृत 'झारखंड' राज्य के लातेहार एवं गुमला जिले की उच्चस्तरीय *'जन संघर्ष समिति'* सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसद के शीतकालीन अधिवेशन की अवधि में 20-22 दिसंबर तक दिल्ली में थी। बीस सदस्यों वाली इस उच्च स्तरीय समिति में आवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री पीटर मिंज, भूतपूर्व विधायक श्री वर्नाड मिंज, अवकाश प्राप्त वन विभाग पदाधिकारी श्री अन्तोनी लकड़ा, अवकाश प्राप्त ए. डी. एम. श्री पीयुष तिरकी, अवकाशप्राप्त ए. डी. एम. श्री अलबर्ट टोप्पो, फा. सिप्रियन कुल्लू और प्रसिद्ध समाजसेवी तरसीला खालखो के अलावा जन संघर्ष समिति तथा छात्र–संघ के सदस्य भी शामिल थे।

ज्ञातव्य है कि Hq 23 Arty Bde C 1056 APO की पत्र संख्या 104101/3/w/gs (Trg) दिनांक 02 जून, 2004 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2-11 अगस्त, 2004 तक सेना नेतरहाट क्षेत्र में फायरिंग अभ्यास हेतु आने वाली थी। प्रभावित जनता के विरोध के कारण सेना की मंशा पूरी नहीं हो पायी। पिछले 12 वर्षों तक जनता ने सेना को नेतरहाट क्षेत्र में प्रवेश करने के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया है। 12 वर्षों की इस लंबी अवधि में अनेक स्मार–पत्र दिए गए, प्रदर्शन एवं उच्च–स्तरीय वार्त्ताएँ भी हुईं। इस बार जहाँ सेना फायरिंग रेंज के लिए भूमि अधिग्रहण कर नेतरहाट को स्थायी फौजी छावनी के रूप में परिवर्त्तित करना चाहती है, वहीं जनता ने भी *'जान देंगे, जमीन नहीं देंगे'* का नारा देकर *'करो या मरो'* का मन बना लिया है।

नेतरहाट झारखण्ड राज्य का अति सुन्दर क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक सौन्दर्य अब तक बरकरार है। आदिवासियों की संस्कृति उनकी जमीन से जुड़ी हुई है और उनके विस्थापन से उनकी सामाजिक, धार्मिक आस्थाओं, मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और परम्पराओं पर निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय सेना की नेतरहाट क्षेत्र में अब तक 4 स्तरों पर दखलदांजी रही है :

1. 1965 में सेना ने साल में दो बार तोप चालन अभ्यास के लिए वहाँ जाना शुरू किया। उस समय उन्होंने तमाम इलाके पर कब्जा किया। जनता के लिए फायरिंग के ये समय भयावह के अनुभव हुआ करते थे। अचानक लोगों को यह सूचना दी जाती थी कि फायरिंग होनेवाली है और उन्हें घर छोड़ना है। जंगल में पनाह लेने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था, जब तक कि बारूदी गोले उनके घरों और खेतों पर बरसना बन्द नहीं कर देते। इसके लिए सेना उन्हें रोजाना एक रूपया हर्जाना देती थी। 1965 से 1992 तक तोप चालन के कारण लोगों की जानें गयीं और बहुतेरे आदिवासी घायल भी हुए। औरतों के साथ बलात् दुष्कर्म किये गये। गाय–बैल, अन्य मवेशी, घर, वृक्ष और फसल बड़े पैमाने पर नष्ट भी हुए।
2. 1992 में सेना को *"पायलट प्रोजेक्ट"* के लिए 1,471 वर्ग किलोमीटर जमीन दी गयी। इसका मतलब यह हुआ कि सेना इस इलाके पर स्थायी कब्जा करती और स्थानीय जनता का बड़े पैमाने पर वहाँ से विस्थापन होता। सेना के अनुसार मात्र 27,000 लोगों का विस्थापन होगा, परन्तु जनता के अनुसार 2,60,000 लोगों का विस्थापन होना तय है। देश की आज़ादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर ऐसा विस्थापन कभी नहीं हुआ है। इस अन्याय के विरोध में जनता ने *अहिंसात्मक आन्दोलन* का रूख अख्तियार किया और पिछले 12 वर्षों तक सेना को नेतरहाट से बाहर रखा।
3. 1991-92 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने सेना के लिए 19,856 वर्ग कि. मी. जमीन की पेशकश की। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी लम्बाई 200 कि.मी. होगी और चौड़ाई 100 कि.मी.। अतः यह सोचना कि यह एक छोटी योजना है, सत्य से परे है।
4. हिन्दुस्तान टाईम्स, पटना, 14-1-1994 के हवाले से यह खबर मिली थी कि 29वें इन्फन्ट्री डिवीजन के अधिकारियों ने इस पर जोर डाला है कि तमाम फायरिंग का संघात क्षेत्र 19,856 वर्ग कि. मी. से कम न हो। इसके लिए फायरिंग जोन के लिए पांच गुणा अधिक जमीन की जरूरत पड़ेगी।

तात्पर्य यह है कि सेना 1,00,000 वर्ग कि.मी. जमीन पर कब्जा करेगी। वह 500 कि.मी. चौड़ा क्षेत्र होगा। कल्पना करें अगर 1,471 वर्ग कि.मी. के लिए 27,000 लोगों का विस्थापन होगा, तो 1,00,000 वर्ग कि.मी. के लिए कम से कम 10,00,000 लोगों को भागना पड़ेगा। 10,00,000 लोग बेघर होंगे और निम्न स्तर की गरीबी के नीचे दबाये जाएँगे, क्योंकि बार–बार सरकार ने अपने रवैय्ये से प्रमाणित कर दिया है कि वह विस्थापित जनता के लिए

न जमीन और न ही मुआवजे का ठीक प्रबन्ध कर सकती है।

दिल्ली आयी जन संघर्ष समिति, लातेहार एवम् गुमला जिला ने 22 दिसम्बर, 2004 को सरकार की दुलमुल नीति के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने तथा अपनी आवाज दूर–दूर तक igqpkusds ,d *प्रेस विज्ञप्ति* जारी की, जो यहां पेश की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति

नेतरहाट पायलट प्रोजेक्ट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में जनान्दोलन

दिसंबर 22, 2004 (2.30 अपराह्न)

झारखंड के नेतरहाट पठार में सेना द्वारा 1964 से 1993 तक लगातार तोप चालन अभ्यास, अधिसूचना 1956 के अन्तर्गत किया जाता रहा। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं घटीं, जैसे बलात् दुष्कर्म, बम फटने से मृत्यु, बम से घरों का क्षतिग्रस्त होना, छेड़खानी, चोरी, मवेशियों और गाछ–वृक्ष तथा पर्यावरण की हानि और उस संघात क्षेत्र के लोगों की अभूतपूर्व कठिनाइयां। इन ज्यादतियों के विरोध में प्रशासन या पुलिस के यहां शिकायत किये जाने पर भी न कोई जांच की गई और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई।

1992 में सरकार ने अधिसूचना द्वारा ***पायलट प्रोजेक्ट फील्ड फायरिंग रेंज*** की बृहद योजना अधिसूचित की, जिसमें ***'जन संघर्ष समिति'*** के सर्वेक्षण के अनुसार– कुल 245 गांवों की करीब 2.6 लाख जनसंख्या प्रभावित होती है। उपर्युक्त योजना के लिए जमीन अधिग्रहण की बात उठी और इसकी कार्रवाई भी प्रारम्भ की गई। तब से जनता का यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। 1994 में सेना अपने रूटिंग फायरिंग अभ्यास के लिए पठार क्षेत्र में पहुंच चुकी थी कि प्रभावित क्षेत्र के लाखों लोगों ने शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक प्रदर्शन द्वारा सेना को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। तब सेना वापस चली गई। 1994 के बाद दस–ग्यारह वर्षों तक सेना अभ्यास के लिए नहीं आयी। वर्ष 2004 में सेना अभ्यास के लिए पुनः पंहुच गयी थी, जिसका शांतिपूर्ण विरोध लाखों लोगों ने जमकर किया और सेना को वापस जाने पर बाध्य किया।

1994 एवं 2004 के बीच सरकार ने अपनी अधिसूचना 1999 द्वारा योजना का अवधि विस्तार 2002 से लेकर 2022 तक के लिए अधिसूचित कर दिया। केन्द्रीय जन संघर्ष समिति, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज एवं प्रभावित क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता, पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध करती है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इस योजना को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाये और इसके निरस्तीकरण की अधिसूचना शीघ्र निर्गत की जाए।

कारण

1. पायलट प्रोजेक्ट फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत तत्काल 206 वर्ग कि. मी. तक बसे लाखों लोगों का विस्थापन किया जाना है। आदिवासियों का विस्थापन एक विकराल रुप लेता जा रहा है। इससे आगे आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाने का खतरा पैदा हो रहा है।
2. नेतरहाट पठार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड का अति सुन्दर पर्यटन स्थल है। पर्यावरण की दृष्टि से भी पायलट प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता है।
3. विगत तीस वर्षों की अवधि में सेना द्वारा तोप चालन अभ्यास किया गया था, उस दौरान जो भी घटनाएं घटीं, जिसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया है, उसकी किसी भी स्तर पर न तो कोई जांच की गई और न ही कोई संज्ञान लिया गया।
4. पायलट प्रोजेक्ट की योजना पूर्व में *गया* जिले के *देवरी डुमरी* क्षेत्र में बनायी गयी थी, लेकिन उसे इस कारण रद्द किया गया कि उस क्षेत्र में आबादी अधिक है और वहाँ ऐतिहासिक पुरातत्व अवशेष हैं, उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता है। किन्तु यह असत्य और बहाना मात्र है। तत्पश्चात् झारखंड के नेतरहाट पठारी क्षेत्र को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इसके अन्तर्गत दो जिलों के छः प्रखण्ड आते हैं। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल हैं। कई आदिम जनजाति जो लुप्तप्राय हो रही हैं, उनकी शरणास्थली है। इस तरह योजना स्थल के चयन में भेदभाव बरता गया है, जिसके कारण हमारी भावनाएं आहत् हुई हैं।
5. यह योजना स्थल अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। अनुसूचित क्षेत्र की आदिवासी जनता के संवैधानिक संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं। हम राष्ट्रपति से आशा और निवेदन करते हैं कि अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए व आदिवासियों को जीवित रखने के लिए इस योजना को रद्द करने का आदेश दें।
6. अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में कोई भी योजना ***आदिवासी परामर्शदात्री समिति*** की अनुशंसा पर ही ली जानी है। वर्तमान पायलट प्रोजेक्ट योजना के लिए परामर्शदात्री समिति की कोई सिफारिश नहीं ली गई है।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट की सिफारिश नहीं की गई है, बल्कि इसके द्वारा इसे रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

केंद्रीय जन संघर्ष समिति - लातेहार-गुमला (झारखण्ड)

जनता की आवाज है

'जान देंगे, जमीन नहीं देंगे'

विकल्प

आखिर ये सब आदिवासियों के साथ ही क्यों? कोई भी सरकारी योजना क्या सिर्फ आदिवासियों के विस्थापन के लिए है? उनकी संस्कृति, उनके सरना–स्थल, उनके पुरखों की समाधिस्थल, सभी जमीन से जुड़े हैं। शहर के निवासी ये बातें शायद ही समझें। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती है कि 245 गाँवों के अधिग्रहण से 2.6 लाख से भी ज्यादा विस्थापतों के नेस्तनाबूंद होने का खतरा है। बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन से आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। सेना ऐसे स्थान में अभ्यास क्यों नहीं करती, जहाँ आदिवासी या गैर–आदिवासी किसी का कोई नुकसान न हो? भारत में बहुत ऐसे विरान, सुनसान रेगिस्तान हैं, जहाँ सेना अपना फायरिंग कर सकती है। ***सेना जनता की रक्षा के लिए है, उनके सत्यानाश के लिए नहीं***। जिन लोगों को अब तक के गोलाबारी अभ्यास के कारण शारीरिक या मानसिक यंत्रणा सहनी पड़ी, सरकार क्या उनको कभी कोई मुआवजा देगी? जिन लोगों के फसल, मवेशी या पेड़, अभ्यास के कारण बर्बाद हुए, उनका क्या होगा? जो महिलाएं सेना के जवानों के हवश का शिकार हुई, क्या वे कभी उन गुनाहगारों को माफ कर पाएंगी? सौ बात की एक बात – सरकार अब पुनर्वास की नयी नीति बना रही है, मगर हर विस्थापित चीख–चीख कर यही पूछ रहा है– 'नयी पुनर्वास नीति–2003' लागू करने के लिए क्या विस्थापन करना जरुरी है? □□